प्रेस विज्ञप्ति
7.07.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची जोनल कार्यालय ने 05.07.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), रांची के समक्ष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एक बड़े जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी सिंडिकेट के चार मास्टरमाइंड **शिव कुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, अमित कुमार गुप्ता और अमित अग्रवाल उर्फ विक्की भलोटिया** के खिलाफ एक अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

ईडी ने जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई), जमशेदपुर द्वारा दर्ज की गई कई शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें फर्जी आईटीसी के तैयार करने और उसे आगे बढ़ाने से जुड़ी एक जटिल धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ था।

ईडी की जांच से पता चला है कि शिव कुमार देवड़ा और उनके सहयोगियों की अगुआई में सिंडिकेट ने 135 फर्जी कंपनियों का जाल बनाया था, जो केवल कागजों पर मौजूद थीं और जिनका इस्तेमाल वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना 5000 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी चालान जारी करने के लिए किया गया था। इस कार्यप्रणाली के माध्यम से, सिंडिकेट ने धोखाधड़ी से 734 करोड़ रुपये से अधिक की नकली आईटीसी तैयार की और उसे आगे बढ़ाया। इस अवैध रूप से तैयार किए गए क्रेडिट को फिर कमीशन पर विभिन्न लाभार्थी फर्मों को बेचा गया, जिन्होंने इसका इस्तेमाल अपनी जीएसटी देनदारियों से बचने के लिए किया।

जांच के परिणामस्वरूप अब तक 5.29 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों की कुर्की, 8.98 लाख रुपये की नकदी की जब्ती, 62.90 लाख रुपये के बैंक बैलेंस की फ्रीजिंग के रूप में अपराध की आय की पहचान की गई है।

इससे पहले इस मामले में ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में कई ठिकानों पर व्यापक तलाशी अभियान चलाया था। इसके अलावा, उक्त चार आरोपियों को भी 08.05.2025 को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया था और वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

आगे की जांच जारी है।